

148

रामलखन ब्रा0

74  
299

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर (म0प्र0)

सर्किट कोर्ट रीवा संभाग रीवा (म0प्र0)

वे.वे. अग्निहोत्री  
12/4/12



Supds.  
Commissioner's Office  
Rajwade, Gwalior



R-1369-I/12

रामलखन ब्रा0 तनय फुल्लेराम ब्रा0, उम्र 77 वर्ष, पेशा कृषि, निवासी  
मानपुर, तहसील मैहर, जिला सतना (म0प्र0)

रामलखन ब्रा0  
तनय फुल्लेराम ब्रा0  
16-4-12

निगराकार

बनाम

संता तनय नायक कोल, निवासी मानपुर, तहसील मैहर, जिला सतना  
(म0प्र0)

गैरनिगराकार

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू0रा0सं0  
1959 ई0

निर्णय आदेश दिनांक 27/03/2012  
न्यायालय अपर कलेक्टर जिला सतना  
म0प्र0 प्रकरण क0-111/निगरानी/  
2010-11

मान्यवर,

निगरानीकर्ता रामलखन ब्रा0, के निगरानी के आधार निम्नलिखित है :-

- 1- यह कि संक्षेप में प्रकरण यह था अधीनस्थ न्यायालय तहसील में गैरनिगराकार अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ग्राम मानपुर, तहसील मैहर, जिला सतना के आराजी नम्बर-333/1/क/7 रकवा 0.709 हे0, 333रू1/क/11 रकवा 0.184 हे0, एवं 336/3 रकवा 1.881 हे0 के सीमांकन का आवेदन पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश पर राजस्व निरीक्षक ने मौके से सीमांकन करने के पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवेदन पेश किया। सीमांकन के बारे में निगराकार ने आपत्ति अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया था तथा आपत्ति अधीनस्थ न्यायालय ने निगराकार को निरस्त किया था व

3/2/2012

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R1369-V12

जिला-सतना

रामलखन बा0/ संता कोल

(1)	(2)	(3)
<p>05/8/19</p> <p><i>[Handwritten Signature]</i></p>	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री कुबेर प्रसाद अग्निहोत्री उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला सतना के प्रकरण क्रमांक 111/निगरानी/2010-11 में पारित आदेश दिनांक 27.03.2012 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त रीवा संभाग रीवा को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24.10.19 को आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;">(महेशचन्द्र चौधरी) सदस्य</p>	